आपराधिक प्रकरण क0 2073/22
शा0 वि0 ओम प्रकाश पटेल

Witness No.....**04**.....For.....अभियोजन.....Deposition taken----------

the.....05..day of.....फरवरी 2024..... Witness's apparent age.....31 वर्ष.....

States on affirmation....शपथपूर्वक .....my name is.....नेहा सिंह.....

S/W/D of.....दीपक कुमार ..... .occupation.....आब.उपनि.....

address-.....आबकारी वृत्त चिचोला, जिला–राजनांदगांव, छ0ग0.....

.....

मुख्य परीक्षण प्रारंभ समय 02:30 बजे।

01. मैं 2022 में मैं गुरूर आबकारी वृत्त में आबकारी उपनिरीक्षक के रूप में पदस्थ थी। वर्तमान में मैं आबकारी वृत्त चिचोला में जिला–राजनांदगांव में आबकारी उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ हूं। दिनांक 14.02.2022 को थाना गुरूर के अपराध क0 41/22 धारा 34–1 (क) आबकारी एक्ट में जप्तशुदा 20 नग पाव देशी प्लेन मदिरा सील बंद अवस्था में आरक्षक बल्देव मंडावी कमांक 381 के माध्यम से मय थाना गुरूर के तहरीर के साथ प्राप्त हुआ। थाना गुरूर के द्वारा परीक्षण किये जाने हेतु आबकारी उपनि0 बालोद वृत्त बालोद को प्रेषित तहरीर **प्रपी 21** जो प्रकरण में संलग्न है। जांच हेतु प्रस्तुत सामग्री की सभी शिशियों की सील तोड़कर उसमें भरे द्रव्यों की जांच करने पश्चात निम्नानुसार पाया गया। 1. द्रव का रंग देखने पर रंगहीन पारदर्शी तरल पदार्थ, 2. द्रव की गंध सूघने पर–प्लेन देशी मदिरा की विशेष प्रकार की गंध, 3. द्रव का स्वाद चखने पर प्लेन देशी मदिरा की विशेष प्रकार का स्वाद, 4. लिटमस पेपर से परीक्षण करने पर नीला लिटमस पेपर तरल पदार्थ में डालने पर पेपर का रंग नीला ही रहा, 5. द्रव की तेजी–थर्मामीटर एवं हाईड्रोमीटर से द्रव की तीव्रता की जांच करने पर 50.3 यू.पी. होना पाया गया।

02. परीक्षण परिणाम–उपरोक्त परीक्षण में सभी शीशियों के द्रव का सभी गुण एक साथ पाये जाने पर मै अपने प्रशिक्षण व विभागीय अनुभव के आधार पर घ ोषित करती हुं–कि परीक्षण हेतु प्रस्तुत तरल प्रदार्थ को देशी प्लेन मदिरा का होना पाया।

बाद जांच प्रस्तुत मदिरा को चपड़ा एवं सील–चीट से सीलबंद कर

प्रस्तुतकर्ता आरक्षक को वापस किया। मेरी मदिरा परीक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट **प्रपी 22** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है तथा ब से ब भाग पर नमूनासील अंकित है।

//<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा अधि0 श्री नारायण टुवानी वास्ते आरोपी</u>//

03. यह कहना गलत है कि मेरे सामने कोई देशी प्लेन मदिरा अवस्था में नहीं आया। यह कहना सही है कि देशी प्लेन मदिरा का सील खोलते समय कोई पंचनामा नहीं बनाया है। यह कहना सही है कि लिटमस पेपर में पानी डालने से रंग नहीं बदलता। साक्षी स्वतः कहता है कि मैने लिटमस पेपर में पानी डालकर चेक नहीं किया है। द्रव कितना देर तक मेरे कब्जे में रहा उसका समय का उल्लेख नहीं है। यह कहना सही है कि द्रव को वापस सीलबंद करते समय पंचनामा नहीं बनाया। साक्षी स्वतः कहती है कि मदिरा परीक्षण रिर्पोट प्रपी0–22 में ही उक्त तथ्य का उल्लेख है। यह कहना गलत है कि मैंने कोई परीक्षण नहीं किया।

<u>प्रतिपरीक्षण समाप्त समय 02:45 बजे।</u>

गवाह को पढकर सुनाया गया,
सही होना स्वीकार किया।

गवाह का हस्ताक्षर

मेरे निर्देशन में टंकित

सही/–
(कु0 माधुरी मरकाम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी
जिला–बालोद (छ0ग0)

सही/–
(कु0 माधुरी मरकाम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी
जिला–बालोद (छ0ग0)